

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक  
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,  
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान  
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी  
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन  
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 164 अ ]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 22 मार्च 2010—चैत्र 1, शक 1932

कार्यालय, राज्यपाल का सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल

राजभवन, भोपाल, दिनांक 22 मार्च, 2010

क्र. 438-रा.स.-यू.ए-5-2010.—मध्यप्रदेश पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 22(1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महामहिम कुलाधिपतिजी द्वारा धारा 22(2) के प्रावधानानुसार मध्यप्रदेश पशु चिकित्सा विज्ञान के बोर्ड का गठन निम्नानुसार किया जाता है :—

#### 1. धारा 22 ( 2 ) के अन्तर्गत पदेन सदस्य—

- (क) कुलपति;
- (ख) पशुपालन विभाग का भारसाधक शासन सचिव;
- (ग) वित्त विभाग का भारसाधक शासन सचिव;
- (घ) मत्स्यपालन (फिशरीज) का भारसाधक शासन सचिव;
- (ङ) कुलसचिव;
- (च) संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं;
- (छ) संचालक, मत्स्य पालन (फिशरीज).

#### 2. धारा 22( 2 ) ( क ) के अंतर्गत कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट सदस्य—

- (क) पशु चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में शोध, शिक्षण और विस्तारी शिक्षा में विशेष ज्ञान रखने वाले या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले दो वैज्ञानिक/शिक्षाविद;
  - (1) डॉ. आर.जी. अग्रवाल,  
प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष (सेवानिवृत्त),  
बी-4, कृषि नगर कॉलोनी, आधारताल,  
जबलपुर (म.प्र.).

- (2) डॉ. रणबीर सिंह,  
कैथारी निवास, हरदेव नगर,  
डोलपुर (राजस्थान).
- (ग) पशुपालन या मत्स्य पालन से संबंधित उद्योगों का एक प्रतिनिधि;
- (1) श्री संजीव अग्रवाल,  
ई-4/137, अरेरा कॉलोनी,  
भोपाल—462016.
- (घ) एक महिला सामाजिक कार्यकर्ता;
- (1) श्रीमती नीतू अग्रवाल,  
1525, नेपियर टाउन,  
होमसाईन्स कॉलेज रोड,  
जबलपुर—482001.
3. धारा 22 (2) (ख) एवं (ज) के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा नामनिर्देशित.
- (ख) प्रगतिशील दो पशुधन कृषक;
- (1) श्री राम गोपाल शर्मा,  
संचालक,  
शर्मा डेरी फार्म प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य,  
मध्यप्रदेश पशुपालन प्रकोष्ठ, कामथ वार्ड,  
गाडरवारा, नरसिंहपुर.
- (2) श्री दीपक पाटीदार,  
(बी.एस.सी.ए.जी.) ग्राम सुन्दैल, तहसील धरमपुरी,  
जिला धार, राष्ट्रीय “बकरी पंडित अवार्ड” से सम्मानित.
- (ज) कृषि का प्रतिनिधित्व करने वाले कृषि संबंधी मामलों से परिचित दो सदस्य;
- (1) डॉ. चन्द्रमान सिंह,  
पूर्व डायरेक्टर एक्सटेंशन सेवाएं,  
जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय,  
जबलपुर.
- (2) श्री गोपाल पटेल, बी.ए.,  
महामंत्री,  
किसान संघ, सरपंच-ग्राम पंचायत महतपुर,  
दमोह.

4. धारा 22 (2) (चार) के अंतर्गत कुलपति बोर्ड का पदेन सभापति होगा तथा कुल सचिव बोर्ड का पदेन सचिव होगा.

2. अधिनियम की धारा 22(2)(ड) के तहत महानिदेशक, आई.सी.ए.आर. द्वारा नामनिर्दिष्ट, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (पशु चिकित्सा संभाग) का एक प्रतिनिधि, धारा 22(2)(च) के तहत भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् का एक नामनिर्देशित तथा 22(2)(छ) के तहत राज्य विधान सभा द्वारा चुने गये एक सदस्य के संबंध में अधिसूचना यथासमय संबंधितों से नामनिर्देशन की जानकारी प्राप्त होने के उपरांत जारी की जावेगी.

3. पदेन सदस्यों को छोड़कर शेष सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का रहेगा.

कुलाधिपति, मध्यप्रदेश पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर के आदेशानुसार,  
शैलेन्द्र कियावत, राज्यपाल के उपसचिव.